**न्यायालय चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।**

प्रकीर्ण वाद संख्या 1088 /2022

नीतू बनाम विनीत वर्मा व अन्य

**दिनांक 23.03.2023**

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी व विपक्षी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली पर पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थिनी व विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया था एवं पत्रावली वास्ते आदेश नियत है।

पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम का निस्तारण नहीं हुआ है तथा पिछली नियत तिथि पर धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ–साथ अन्य प्रार्थना पत्र पर भी सुना गया था। धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व उन प्रार्थना पत्रों का निस्ताण आवश्यक है।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी कागज सं0 16ख/1 मय आपत्ति विपक्षीगण कागज सं0 19क**

प्रार्थिनी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र कागज सं0 16ख/1 दिनांकित 10.02.2023 इस आशय के कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी के द्वारा अपने आस्तियों व दायित्वों के शपथ पत्र के साथ बैंक विवरण दिनांक 12.10.2021 तक का दाखिल किया है तथा विपक्षी सं0 1 द्वारा अपनी माता के साथ के संयुक्त खाते का विवरण दाखिल नहीं किया है। इसलिए इस सम्बन्ध में आदेश पारित किया जाये।

उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि विपक्षी द्वारा तीन वर्षों का बैंक विवरण दाखिल किया गया है तथा दिनांक 01.04.2022 से 23.02.2023 तक का विवरण भी दाखिल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं0 1 ने प्रार्थिनी द्वारा कथित विपक्षी सं0 1 व उसकी माता के संयुक्त खाते के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति में कोई कथन नहीं किया है। मात्र यह कहा गया है कि यह मिथ्या है।

चूंकि पत्रावली सुनवाई/आदेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 23 डी. वी. एक्ट नियत है, इसलिए विपक्षी द्वारा दाखिल बैंक विवरण दिनांकित 01.

04.2022 से 23.02.2023 पत्रावली पर शामिल किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र विपक्षी कागज सं0 16ख/2 दिनांकित 10.02.2023**

विपक्षी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 10.02.2023 इस आशय के कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, हरिद्वार में प्रस्तुत वाद सं0 50/2023 विनीत वर्मा बनाम नीतू अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि को पत्रावली पर शामिल करने की अनुमति प्रदान करें।

उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिनी की ओर से आपत्ति हेतु कथन किया गया, परन्तु आज की तिथि तक कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

किसी भी दस्तावेज को पत्रावली पर ग्रहण किये जाने का तात्पर्य नहीं है कि उसे साक्ष्य के रूप में पढ़ा जायेगा। वह सुसंगत है या नहीं इसका निर्धारण वाद के अग्रिम स्तर पर किया जायेगा। चूंकि प्रार्थिनी की ओर से उक्त दस्तावेज पर आज तिथि तक कोई आपत्ति नहीं की गयी है, इसलिए विपक्षी का प्रार्थना पत्र कागज सं0 16ख/2 दिनांकित 10.02.2023 स्वीकार किया जाता है एवं सूची दस्तावेज कागज सं0 17क/1 से दाखिल दस्तावेज कागज सं0 17क/2 लगायत 17क/8 को पत्रावली पर शामिल किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी कागज सं0 20क/1 दिनांकित 24.02.2023**

प्रार्थिनी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र कागज सं0 20क/1 दिनांकित 24.02.2023 इस आशय के कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वह विपक्षी की वेतन पर्ची तथा पक्षकारों के मध्य विचाराधीन धारा 125 द0प्र0सं0 जो कि

माननीय परिवार न्यायालय, देहरादून में लंबित है, की प्रति दाखिल कर रही है, जिसे पत्रावली पर शामिल करने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

किसी भी दस्तावेज को पत्रावली पर ग्रहण किये जाने का तात्पर्य नहीं है कि उसे साक्ष्य के रूप में पढ़ा जायेगा। वह सुसंगत है या नहीं इसका निर्धारण वाद के अग्रिम स्तर पर किया जायेगा। चूंकि विपक्षी की ओर से उक्त दस्तावेज पर आज तिथि तक कोई आपत्ति नहीं की गयी है, इसलिए प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र कागज सं0 20क/1 दिनांकित 24.02.2023 स्वीकार किया जाता है, परन्तु प्रार्थिनी के द्वारा अन्य दस्तावेज कागज सं0 20क/6 लगायत 20क/13 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र में कोई वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें छोड़कर अन्य दस्तावेज 20क/2 लगायत 20क/5 को पत्रावली पर शामिल किया जाता है।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र विपक्षी कागज सं0 23ख दिनांकित 03.03.2023 मय आपत्ति कागज सं0 26क**

विपक्षी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र कागज सं0 23ख दिनांकित 03.03.2023 इस आशय के कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी घर से कार्य करती है तथा आय प्राप्त करती है, इसलिए उसके पैन कार्ड की फोटोप्रति पत्रावली पर प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये जाये।

उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिनी की ओर से आपत्ति कागज सं0 26क प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा अपने आस्तियों व दायित्वों के शपथ पत्र के साथ पूर्ण विवरण दिया है, इसलिए प्रार्थना खारिज किये जाने योग्य है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस न्यायालय का मत है कि वर्तमान में इस वाद में धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम के अंतर्गत अंतरिम भरण पोषण का निर्धारित किया जाना है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों द्वारा अपना–अपना आस्तियों व दायित्वों का शपथ पत्र पत्रावली पर दाखिल किया जा चुका है। पैन कार्ड की फोटोप्रति पत्रावली पर दाखिल किये जाने से सम्बन्धित कोई प्रावधान नहीं है, न ही उसकी

आवश्यकता है। इसलिए विपक्षी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं0 23ख खारिज किया जाता है।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र विपक्षी कागज सं0 24ख दिनांकित 03.03.2023**

विपक्षी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.03.2023 इस आशय के कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी यू.पी.आई. पेमेन्ट के लिए जिस खाते का इस्तेमाल करती है उस खाते से सम्बन्धित विवरण पत्रावली पर दाखिल करने के आदेश पारित किये जाये। विपक्षी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ यू.पी.आई. आई.डी. की प्रति, स्क्रीनशॉट की प्रति व चैटिंग की प्रति दाखिल की है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिनी की ओर से आपत्ति कागज सं0 27क प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा अपने आस्तियों व दायित्वों के शपथ पत्र के साथ बैंक खाते का पूर्ण विवरण दिया गया है, इसलिए प्रार्थना खारिज किये जाने योग्य है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस न्यायालय का मत है कि वर्तमान में इस वाद में धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम के अंतर्गत अंतरिम भरण पोषण का निर्धारित किया जाना है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों द्वारा अपना–अपना आस्तियों व दायित्वों का शपथ पत्र पत्रावली पर दाखिल किया जा चुका है। इसलिए विपक्षी सं0 1 के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार विपक्षी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं0 24ख खारिज किया जाता है।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

**तत्पश्चात–**

पत्रावली पर आज धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधि ानियम के अंतर्गत आदेश पारित किया जाना था, परन्तु आज पुनः विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं0 31ख के साथ सूची दस्तावेज कागज सं0 32ख/1 के माध्यम से दस्तावेज कागज स0 32ख/2 लगायत

32ख/5 पत्रावली पर दाखिल किये हैं, जिस पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति हेतु समय चाहा है। इसलिए धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण आज न किया जाकर पत्रावली वास्ते आपत्ति प्रार्थिनी कागज सं0 31ख नियत की जाती है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को यह निर्देशित किया जाता है कि अगली नियत तिथि पर बिना कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम के निस्तारण में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि दोनों पक्षों का आचरण यह दर्शित करता है कि प्रत्येक तिथि पर उनके द्वारा कोई न कोई अनावश्यक प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण मुख्य प्रार्थना पत्र धारा 23 घ ारेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम का निस्तारण नहीं हो पाता है।

पत्रावली वास्ते आपत्ति प्रार्थिनी कागज सं0 31ख दिनांक 31.03.2023 को पेश हो।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।